

संख्या 22/70/2017-कल्याण

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाये विभाग

द्वितीय तल, जीवनदीप भवन, संसद मार्ग,
नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2017

सेवा में,

श्री भगवत कुमार सेठ
05-गोपाल सिंह, पीलीभीत,
उत्तर प्रदेश - 262001.


विषय:-सुचना का अधिकार के तहत आवेदन-पत्र

महोदय,

आपका आरटीआई आवेदन दिनांक 28.8.2017 जोकि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के हस्तांतरण पर कल्याण अनुभाग में प्राप्त हुआ है, इस विषय में, यह सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा मांगी गई जानकारी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/ सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों से संबंधित है। इसलिए, आपका आरटीआई आवेदन को आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) (ii) के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/ सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों को आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए प्रेषित किया जा रहा है।

2. श्री गुलाब सिंह, उप सचिव (कल्याण) इस विभाग में अपीलीय प्राधिकरण (एए) हैं।

भवदीय,



(अरुण कुमार)

सी.पी.आई.ओ./अवर सचिव

टेलीफोन: 011-23748725

प्रतिलिपि:

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/ सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों को उपर्युक्त आरटीआई आवेदन की एक प्रति के साथ अपेक्षित जानकारी सीधे आवेदक को प्रदान की जाये।


(अरुण कुमार)

सी.पी.आई.ओ./अवर सचिव

सं. ए-43011/339/2017-आरटीआई

भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन,
सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली-110003
तारीख: सितम्बर, 2017

कार्यालय ज्ञापन


विषय : श्री भगवत कुमार सेठ, 05-गोपाल सिंह, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश-262001 द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन मांगी गई सूचना।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के नियम 6(3) के अंतर्गत, अधोहस्ताक्षरी को आवेदक द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत मांगी गई सूचना से संबंधित आवेदन/प्रतिवेदन दिनांक 28.08.2017 (जो आरटीआई सेल में 31.08.2017 को प्राप्त हुआ) की एक प्रति इसके साथ अग्रेषित करने का निर्देश हुआ है। आरटीआई आवेदन शुल्क प्राप्त हुआ है।

2. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5 (4) एवं 5 में निहित अनुदेशों के तहत संबंधित जन सूचना अधिकारी/जन प्राधिकारी आवेदक को निर्धारित समय के भीतर मांगी गई सूचना देने के लिए उत्तरदायी हैं।

3. सूचना भेजते/प्रदान करते/प्रेषित करते समय आवेदक को प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का नाम, पदनाम, पता भी सूचित करें, ताकि आवेदक सूचना से असंतुष्ट होने पर अपील कर सके।

संलग्न यथोपरि प्रेषित



अ.कु.मंडल 04/09/2017
(ए के मण्डल)

अवर सचिव, भारत सरकार
टेलीफोन: 24365053

प्रेषित :

1. श्री डी. के. पाण्डा, सीपीआईओ एवं अवर सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, नई दिल्ली।
2. अवर सचिव एवं सीपीआईओ, आरटीआई सेल, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001
3. अवर सचिव एवं सीपीआईओ, आरटीआई सेल, नागरिक उड़डयन मंत्रालय, बी ब्लॉक, राजीव गांधी भवन, सफदरगंज एयरपोर्ट, नई दिल्ली-110003
4. अवर सचिव एवं सीपीआईओ, आरटीआई सेल, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, जीवन दीप बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001
5. श्री भक्तिलाल, अवर सचिव (आरटीआई), कानूनी मामलें विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001
6. श्री संजीव वाधवान, अवर सचिव, (आरटीआई), कमरा नं. 753-ए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011
7. श्री नवनीत कुमार, कार्यक्रम अधिकारी एवं सीपीआईओ, स्वलीनता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता, बहु निःशक्तता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट, 16-बी, ओल्ड राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली-110060
8. श्री डी0के0 मिश्रा, निदेशक (सामाजिक कल्याण), सामाजिक कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार, जीएलएनएस काम्प्लेक्स, फिरोजशाह कोटला, दिल्ली गेट, नई दिल्ली-110002
9. श्री रमाकान्त, संयुक्त निदेशक एवं पीआईओ, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश प्रशासन, सरोजनी नायडू मार्ग, लखनऊ-226001

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :

श्री भगवत कुमार सेठ, 05-गोपाल सिंह, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश-262001 :-आपके आवेदन पत्र दिनांक 28.08.2017 (जो आरटीआई सेल में 31.08.2017 को प्राप्त हुआ) को सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) के अंतर्गत संबंधित सीपीआईओ/जन प्राधिकारियों को अंतरित किया जा रहा है। आवेदक को इस मामले में आगे की सूचना के लिए उपर्युक्त सीपीआईओ/जन प्राधिकारियों से संपर्क करने का अनुरोध किया जाता है।

IF/12
8/9/17
8/9/17
Not for
IF-II
May be
welfare
4/9/19
US (welfare)

अ.कु.मंडल
14/9/2017
अ.कु.मंडल
14/9/17
अ.कु.मंडल
14/9/17

सेवा में,

रजि० डाक

निदेशक/जन सूचना अधिकारी

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय-भारत सरकार

कक्ष सं० 519, 'बी' विंग, पांचवा तल, पं० दीनदयाल अन्त्योदय भवन

सी०जी०ओ० कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

महोदय,

'सूचना का अधिकार अधिनियम 2005' की धारा 6(1) के अन्तर्गत वांछित सूचनाओं की प्राप्ति हेतु निर्धारित शुल्क 10/- रू० मात्र का पोस्टल ऑर्डर सं० 36 एफ० 671263, इस प्रार्थना पत्र के साथ आपकी सेवा में प्रेषित है। मेरे विकलांग प्रमाण पत्र दि० 28.05.1994 (छायाप्रति संलग्न, प्रपत्र सं० 01) का अवलोकन करके, निम्न बिन्दुओं पर सूचना प्रदान करने की कृपा कीजिए।

बिन्दु सं० 01 :- कितने प्रतिशत विकलांग व्यक्ति साधारण/सामान्य विकलांग की श्रेणी में हैं एवं कितने प्रतिशत विकलांग व्यक्ति गम्भीर विकलांग की श्रेणी में है ? कृपया सन्दर्भित विवरण की छायाप्रति प्रदान करने की कृपा कीजिए।

बिन्दु सं० 02 :- किसी अचल सम्पत्ति के क्रय/अनुबन्ध/पट्टा विलेख पर, स्टाम्प एवं निबन्धन हेतु दिव्यांग को उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली NCR में मिलने वाली छूट के, नवीनतम शासनादेश एवं गजट की छायाप्रति उपलब्ध कराने की कृपा कीजिए।

बिन्दु सं० 03 :- घरेलू एवं अन्तर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा में यदि 50 प्रतिशत ऑर्थोपैडिक दिव्यांग जन को किराये आदि में छूट का प्रावधान हो, तो कृपया सन्दर्भित विवरण की छायाप्रति उपलब्ध कराने की कृपा कीजिये।

बिन्दु सं० 04 :- 50 प्रतिशत ऑर्थोपैडिक दिव्यांग जन द्वारा किसी दो पहिया (स्कूटर) अथवा चार पहिया (कार) की खरीद पर, कुल कीमत अथवा विभिन्न टैक्सों में रियायत का प्रावधान हो, तो कृपया सन्दर्भित प्रावधान की छायाप्रति, उपलब्ध कराने की कृपा कीजिये।

बिन्दु सं० 05 :- निजी व्यवसाय करने हेतु दिव्यांग जन को कम ब्याज दर अथवा सब्सिडी पर 20 (बीस) लाख अथवा उससे अधिक राशि का ऋण दिये जाने का प्रावधान हो, तो कृपया सन्दर्भित प्रावधान की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुए, पीलीभीत से निकटतम, सम्बन्धित संस्था का डाक पता, सम्पर्क नं० एवं ई मेल आई०डी० अंकित करने की कृपा कीजिये।

बिन्दु सं० 06 :- दिव्यांग जन के न्यायालय में लम्बित वादों के गुण-दोष के आधार पर शीघ्र निस्तारण (expedite) का प्रावधान हो, तो कृपया सन्दर्भित प्रावधान/शासनादेश की छायाप्रति उपलब्ध कराने की कृपा कीजिये।

बिन्दु सं० 07 :- गरीब दिव्यांग जन को इलाज के लिये यदि अनुदान/बिना ब्याज का ऋण दिये जाने का प्रावधान हो, तो कृपया सन्दर्भित प्रावधान की छायाप्रति उपलब्ध कराने की कृपा कीजिये।

बिन्दु सं० 08 :- दिव्यांग जन हेतु यदि किसी विशेष जीवन बीमा अथवा स्वास्थ्य बीमा का प्रावधान हो, तो कृपया सम्बन्धित बीमा का पूर्ण विवरण उपलब्ध कराने की कृपा कीजिये।

आपको अवगत कराना है कि 'जन सूचना अधिकार' के अन्तर्गत निजी जीवन से सम्बन्धित सूचनायें मात्र 02 दिन में उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान (छायाप्रति संलग्न, प्रपत्र सं० 02) है। कृपया वांछित सूचनायें मय सन्दर्भित दस्तावेजों की छायाप्रति के, यथाशीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा कीजिये। आपकी अति कृपा होगी।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

दिनांक : 28.08.2017

B.R. Seth

भगवत कुमार सेठ

05-गोपाल सिंह, पीलीभीत (उ० प्र०)-262001

RTI Call
9/8/17
RTI call
Sh. R. S.
Pt. put
9/8/17
9/8/17

Dated 28/9/94



HANDICAPPED CERTIFICATE

Certificate that Km./Smt./Shri Bhagwan Prasad Saini
 D/o W/o + S/o Shri late Smt. Suman Devi
 R/o Moh S- Gopal Singh Road
 Distt. Pilibhit.

appeared before the undersigned for his/her medical examination. On Examination we found that Posterior T.H.R. Total hip replacement
Weakness both thigh muscle

This is permanent disability. Hence he/she comes under the category of physically orthopaedically handicap person.

M. I. Black mark just below Rt nostril

B.K. Seth
 Signature/Thumb Impression
 Attested

<u>[Signature]</u> Orthopaedic Surgeon	<u>[Signature]</u> Eye Surgeon	<u>[Signature]</u> E. N. T. Surgeon
---	-----------------------------------	--

[Signature]
 Chief Medical Officer
 Pilibhit
 Chief Medical Officer
 PILIBHIT

Reg. No. 116 Date 14-8-2000
 Chief Medical Officer
 Pilibhit

[Signature]
 Chief Medical Officer
 Pilibhit

13. सूचना के लिए निवेदन—यह अधिनियम की धारा 8 की भांज पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है कि कोई भी व्यक्ति जो अधिनियम के अर्धीन सूचना प्राप्त करना चाहता है उसको अधिनियम के अर्धीन विहित प्राधिकारी के समक्ष लिखित निवेदन करना पड़ता है। यह आवश्यक नहीं है कि सूचना की मांग करने वाला एक व्यक्ति देश का एक नागरिक है या उसका मांगने में एक प्रयत्न है। सूचना के सुपुदे के रूप में धारा 8 का उपबंध स्पष्ट कारण से किसी भी व्यक्ति को सूचना का अधिकार प्रदान करता है, अभिव्यक्ति के अधिकार से प्रवाहित होता है। इस आधार पर सूचना का प्रत्याख्यान कि प्रत्यक्ष को सूचना के प्रदान के लिए निवेदन करने का सुने जाने का कोई भी अधिकार नहीं होता है, आधारहीन है और अन्तर्गत मामलूर पर विचार जाता है।

[संघ लोक प्रशासन व अन्य लोक कर्मि कुमर सिद्ध व अन्य ए० आई० आर० 2008 इारखंड 19]

14. सूचना का अधिकार एवं सूचना का प्रत्याख्यान—सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अर्धीन प्राधिकारी को या तो सूचना देने या सूचना देने का प्रत्याख्यान करने के लिए एक आधारभूत कृत्य करना पड़ता है। गिराये जाने इत्यादि के समुप्य अतिरिक्त प्राधान्य अधिनियम, 2005 के अर्धीन संभूर नहीं की जा सकती है जो पक्षकारों के सारभूत अधिकारों को छीन लेती है। कभी-कभी सुतौर पक्षकार को एक प्रयत्न के रूप में नहीं शामिल किया जाता है और अतएव, और अधिक सामयानी प्राधिकारी द्वारा बरती जानी चाहिए। जब कभी भी अतिरिक्त प्राधान्य सूचना प्राप्त करने से निवृत्त की जाती है तब यह विधि की प्रक्रिया का अनुसरण किये बिना प्राधिकारी द्वारा संभूर नहीं की जा सकती। गिराये जाने का एक आदेश पारित करना मुख्य सूचना आयुक्त की अधिकारिता के पूर्णतया बाहर है।

वदापि क्या अधिकारण होता है या नहीं होता है, एक विधित बाध है। इसका विनिश्चय मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा नहीं किया जा सकता है। मुख्य सूचना आयुक्त ने सुतौर पक्षकार (वर्षी) के विरुद्ध गिराये जानेका एक आदेश पारित किया है (सं) वदापि सुतौर पक्षकार उसके समक्ष द्वितीय अपील में एक प्रयत्न नहीं करे; (ख) सुतौर पक्षकार को सुनने का एक अवसर प्रदान किये बिना; और (ग) जो प्रथम अपील एवं द्वितीय अपील को खारज करने का अधिकार भी प्रदान कर लेता है। अतएव, मुख्य सूचना आयुक्त का आदेश अपास्त किये जाने योग्य होगा।

[संघ लोक प्रशासन व अन्य लोक कर्मि कुमर सिद्ध व अन्य ए० आई० आर० 2009 (सुपारत) 2]

7. सूचना का अधिकार—(1) धारा 8 की उपधारा (2) के परंतुक या धारा 8 की उपधारा (3) के परंतुक के अर्धीन रहते हुए, धारा 8 के अर्धीन अनुरोध के प्राप्त होने पर, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथासंभवशीघ्रता से, और किसी भी प्रयत्न में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर, ऐसी फीस के संयोज पर, जो विहित की जाए, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और धारा 9 में विनिर्दिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा :

परंतु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, तब यह अनुरोध प्राप्त होने के अक्षतासीस घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी:

(2) यदि यथास्थिति केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना